

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

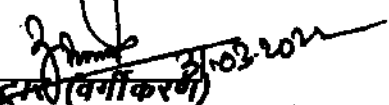
क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 1098 / 2022

दिनांक : 31.03.2022

श्री मधुसूदन शर्मा (RJ0309), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ मामलात कम-02, चित्तौड़गढ़ को दिनांक 31.03.2022 से 01.04.2022 तक 02 दिनों का उपार्जित अवकाश दिनांक 30.03.2022 के स्थानीय अवकाश एवं 02.04.2022 से 03.04.2022 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्री शर्मा की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ मामलात कम-01, चित्तौड़गढ़ इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ मामलात कम-02, चित्तौड़गढ़ के पद पर ही होने की संभावना है।

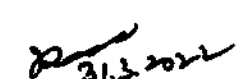
आज्ञा से

रजिस्ट्रार (विगीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/12/2000/2483

दिनांक 31.03.2022

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ मामलात कम-02, चित्तौड़गढ़ को उनके पत्रांक 17 दिनांक 16.03.2022 के सन्दर्भ में।
3. श्री मधुसूदन शर्मा (RJ0309), विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ मामलात कम-02, चित्तौड़गढ़।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ मामलात कम-01, चित्तौड़गढ़।


31.3.2022
सहायक रजिस्ट्रार